न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:–32 / 2020 दायरा दिनांक 27.07.2020

GCMS CASE NO-2020/00032

1. जगमालनाथ उर्फ जगरामनाथ पुत्र रणजीत जाति नाथ निवासीयान रंगमहल तहसील सूरतगढ़
2. धर्मनाथ पुत्र रणजीत जाति नाथ निवासीयान रंगमहल तहसील सूरतगढ़

––अपीलांट

बनाम

1 बाबूडी पत्नी जमननाथ जाति नाथ निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़

2 मनोज नाथ पुत्र जमननाथ जाति नाथ निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़

3 वकील नाथ पुत्र जमननाथ जाति नाथ निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़

4 मल्होत्रा बाई पुत्री जमननाथ पत्नी मुख्त्यारनाथ जाति नाथ निवासी जेजे कॉलोनी सिविल अस्पताल के पास सिरसा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा

5 बसकिया बाई पुत्री जमननाथ पत्नी सुखदेव नाथ जाति नाथ निवासी कालावाली तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा

6 कमला देवी पुत्री रणजीत नाथ पत्नी दलीपनाथ जाति नाथ निवासी मंगाला तहसील व जिला सिरसा हरियाणा

7 विमला देवी पुत्री रणजीत नाथ पत्नी दिलबाग नाथ जाति नाथ निवासी जेजे कॉलोनी सिविल अस्पताल के पास सिरसा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा

8 सुलोचना देवी पुत्री रणजीत नाथ पत्नी जैसानाथ जाति नाथ निवासी जोधावाला बास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान

9 शारदा देवी पुत्री रणजीत नाथ पत्नी औमपाल जाति नाथ निवासी कालांवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा

10 दलमीरनाथ पुत्र कंवरनाथ (पिता) नबाबा देवी (माता) जाति नाथ निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

11 महावीर पुत्र कंवरनाथ (पिता) नबाबा देवी (माता) जाति नाथ निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

12 बलवन्त पुत्र कंवरनाथ (पिता) नबाबा देवी (माता) जाति नाथ निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

13 सन्तोष देवी पत्नी स्व0 श्री बलवीरनाथ जाति नाथ निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

14 तहसीलदार सूरतगढ़

––रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:–
1. श्री प्रमेन्द्र सिंह भाटी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अशोक छाबड़ा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5

–:: निर्णय ::– दिनांक :06 / 11 / 2024

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने जरिये अपील निवेदन है कि अपीलांट के दादा ख्यालीनाथ के नाम से संवत 20[illegible] में रोही रंगमहल के खसरा न. 108 की 25.00 बीघा भूमि टीसी आवंटन हुई। उक्त भूमि अपीलांट के दादा के [illegible] 26 से 2028 तक लगातार चला है। जिस पर लगातार प्रार्थी के दादा ख्यालीनाथ व [illegible] के पश्चात उनके वारिसान लगातार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलांट के चाचा ज[illegible] जो कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 है के द्वारा उक्त भूमि का नवीनी[illegible] अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ख्या[illegible] है। प्रार्थी के पास कोई नहीं है, इसलिए नवीनकरण अपने नाम से करवाना चाहता [illegible] का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कि[illegible] अधीनस्थ न्यायालय ने बिना वारिसान की जांच किये भूमि का नवीनीकरण जमननाथ के नाम से

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.11.19 17:38:12 IST
Reason: SelfAttested

तिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

करने के आदेश दिनांक 07.02.1981 को एकमात्र वारिस जगननाथ के नाम से करने के आदेश किये तथा टीसी पट्टा जारी किये जाने के आदेश किये गये। उक्त आदेश के पश्चात ख्यालीनाथ की भूमि का नवीनीकरण एक मात्र वारिस जगननाथ के नाम से कया गया तथा राजस्व रिकार्ड की गिरदावरी व जमाबंदी संवत 2042 जो कि प्रथम जमाबंदी है में उक्त भूमि का अंकन जगननाथ पुत्र ख्यालीनाथ के नाम से अंकन हो गया है जो कि वर्तमान गिरदावरी में बदस्तूर चला आ रहा है जबकि मौका पर काश्त ख्यालीनाथ के समस्त वारिसान का मौका पर चला आ रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.1981 खारिज किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित अभिलेख मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया । बहस उभय पक्ष सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की कतई जानकारी नहीं थी। अपीलांट गवार की फसल हेतू भूमि सुधार कर रहे थे तो रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 ने कहा कि उक्त भूमि तो हमारे पिता के नाम से है इस भूमि पर आप मत आना। तब अपीलांट ने नकल इत्यादि प्राप्त कर अपील पेश कर दी। जानकारी की दिनांक से बिना किसी देरी के अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलांट द्वारा जान बूझकर अपील देरी से पेश नही की गई है। अतः प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का खण्ड़न करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने यह अपील लगभग 41 वर्ष पश्चात पेश की है जो पूर्णतया मियाद बाहर है। अपीलांट को जैर अपील आदेश की कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान था। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना गया था। अपील पेश करने में हुई देरी का जो कारण अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, वह सन्तोष जनक नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलांट को ना तो विधिवत रूप से तामील हुई है, तथा ना ही अपीलांट्स को विधिवत रूप से सुना गया है। अपीलांट्स ने प्रार्थनापत्र में देरी का जो कारण बताया है वह भी संतोष जनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हम हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर करना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात धारा 96 सीपीसी पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट प्रकरण में प्रभावी एवं हितबद्व पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेशपारित करने से अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया तथा ना पक्षकार बनाया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान करे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 ने उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए कहा की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा अब इस अपील में भी अपीलांट हितबद्व नहीं है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खा[illegible]।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्[illegible]लय [illegible] जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं [illegible] गया है। जैर अपील भूमि में अपीलांट्स के हित निहित है, जिससे [illegible] हितबद्ध प[illegible] साबित होते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार[illegible] अपील अनुमति प्रदान की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.11.19 17:38:12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

1072

Scanned with OKEN Scanner

तत्पश्चात गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपील मीमों एवं मेरी अपील को साबित करने वाले तथ्य ही मेरी बहस है।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 ने दौराने बहस कथन किया कि ख्यालीनाथ पुत्र मुन्शीनाथ को दिनांक 24.07.1970 को रोही रंगमहल के खसरा न. 108 की 25.00 बीघा भूमि टीसी पर आवंटित हुई थी। ख्यालीनाथ की मृत्यु के बाद उसके दो वारिस रणजीत नाथ व जमननाथ थे। रणजीतनाथ ने अपने पिता ख्यालीनाथ की मृत्यु के उपरांत कभी भी हिस्सा नहीं मांगा व ना ही कभी अपील इत्यादि की। इसलिए अपीलांट अब यह अपील पेश करने का भी हकदार नहीं है। जमननाथ ने अपने पिता की भूमि नवीनीकरण करवाने हेतु दिनांक 25.06.1981 को सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र में बिना कुछ छिपाये सभी तथ्य सही–सही बताते हुए अपने पिता के फौत होने एवं अपने पास कोई भूमि नहीं होने का तथ्य अंकित किया। प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र पूर्ण जांच एवं नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर ही रकबा जमननाथ के नाम से टीसी आवंटन किया गया। तत्पश्चात जमननाथ द्वारा दिनांक 16.12.1988 को पुख्ता आवंटन हेत प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया। अपीलांट की अपील बेबुनियाद है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अवलोकन से पाया कि जैर अपील भूमि ख्यालीनाथ पुत्र मुन्शीनाथ को दिनांक 24.07.1970 को टीसी पर आवंटित हुई थी। आवंटी ख्यालीनाथ की मृत्यु उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके विधिक वारिसान की जांच किये बिना ही मात्र जमननाथ के नाम से उक्त रकबा का नवीनीकरण कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय त्रुटिपूर्ण पाया जाने से निरस्त योग्य हैं।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.1981 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ को इस आश्य के साथ रिमाण्ड़ किया जाता है कि प्रकरण में ख्यालीनाथ के विधिक वारिसान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा घग्घर विभाग को भी सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। निर्णय प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/11/2024 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.11.19 17:38:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner